

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Chandra Shekhar Bhatt** I.A.S deputy commissioner **Pauri Garhwal** on dated **13.01.2015** at time **11.30 am** at **Pauri** in which application claiming rights in **Kasana** area measuring **1.080** hect for the **Construction of N.H 121 at Dhankrikhal tok to Chaukikhal via Kasana Bichla Motor Road in Nanidanda Block, District Garhwal** regarding forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dhumakot** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Pauri.....

Dated: 20.4.15


Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee


It is further Certified that minutes of meeting of Construction of N.H 121 at Dhankrikhal tok to Chaukikhal via Kasana Bichla Motor Road in Nanidanda Block, District Garhwal regarding F.R.A. is as following:-

Sl. No.		Remarks
(a)	The Complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 1.080 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest rights committee (s), Sub Division level committee (s) are enclosed as annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No Objection certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and pre agricultural Communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Member District Board
Pauri Garhwal

District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal

Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal

बकली बिष्ट
जिला पंचायत सदस्य
विकास क्षेत्र-नैनीडांडा
जिला- पौड़ी गढ़वाल

Executive Engineer
P.W.D. Division Brijuni
दजरो (गढ़वाल)

Deputy Commissioner
Pauri Garhwal

D.M. Collector
Garhwal

FORM-I
(for linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal.

No. 285/26-YA/MS/170 (LP/270) 2014-15 Dated 13-1-15

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98 FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where MoEF issued proposed to be diverted in favour of public work department (name of User-Agency) for Construction Division, PWD baijrao) (purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of Construction of Dhankrikhal tok to kasana bichla-chaukikhal motor road in Garhwal District villagers (s) in Dhumakot tehsil.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **1.080 hectares of forest and van panchayat land** proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 4, 5 and 6 as annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section (2) of the fra have been completed and the gram sabha have given their consent to it,
- (c) The each of concerned gram sabha (s) has certified that all formalities/processes under the FRA have proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre-agricultural communities.

Encl. As above.

13-1-15
signature

(Chandra Shekhar Bhatt)
District Collector, Garhwal

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Garhwal.

No. 245/26-42704717 (LD 4270) 2014-15 Dated 13-1-15


TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose it is certified that **1.080 hectare of Forest and Van Panchyat Land proposed to be diverted in favour of public work Department (Name of user Agency) for Construction Division, PWD Baijaro (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction of Construction of Dhankrikhal tok to kasana bichla-chaukikhal motor road in Garhwal District villagers (s) in Dhumakot tehsil.**

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 1.080 hectares of forest and van panchayat land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Level Committee enclosed as annexure 1, 2
 - (b) The proposed for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram shabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA.
 - (c) The each of concerned gram sabha (s) has certified that all formalities/processes under the FRA have carried out and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certified issued by the gram sabha of **Kasana walla** villages (s) in enclosed an annexure 3, 4, 5 to annexure 6
 - (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha Present..
 - (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram sabha have given their consent to it,
 - (f) The rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.
- Encl. As above.

signature


(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector, Garhwal

योजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड नैनीताल के अन्तर्गत रा.रा. मार्ग सं. 12 स्थित टकरीखाल तोल से कसाना चिचला होते हुए चौकी खाल तक के कार्यालय उप जिलाधिकारी, धुमाकोट मार्ग का निर्माण कार्य, अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत 2.00 किमी

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, धुमाकोट

उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत टकरीखाल तोल से कसाना चिचला होते हुए चौकी खाल तक (हो आरक्षित वन भूमि, 0.18 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.90 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.08 हे० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग के प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धुमाकोट) की दिनांक 24/5/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री गोपाल राम निवास, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | | |
|----|-------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 1- | श्री गोपाल राम निवास | उप जिलाधिकारी | धुमाकोट गढ़वाल | अध्यक्ष |
| 2- | श्री रसूल रे. कला | उप प्रभागीय वनाधिकारी | पलीसैण गढ़वाल | सदस्य |
| 3- | श्री जितेंद्र सिंह रावत | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | नैनीताल | सदस्य / सचिव |
| 4- | श्री रतन दास | बी०डी०सी० क्षेत्र | कसाना 21 | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि टकरीखाल तोल से कसाना चिचला होते हुए चौकी खाल तक हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग के परियोजना हेतु 1.08 हे० वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पलीसैण द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

405

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धुमाकोट जिले के अन्तर्गत
परियोजना के निर्माण हेतु 1:080 हे
वन भूमि दस्तावेज प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सख्त प्राधिकारी ने अनुमति प्रदान की
यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- धुमाकोट
जनपद- पौड़ी - गढ़वाल

तिलिपि : जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- धुमाकोट
जनपद- पौड़ी - गढ़वाल



21/05/24
तहसीलदार
धुमाकोट (गढ़वाल)

[Signature]
साज कल्याण अधिकारी
काण्डा - गढ़वाल

[Signature]
उप प्रमाणीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
अर्द्ध-तहसील

[Signature]
वन अधीक्षक
डीवा १०० धुमाकोट
गढ़वाल

प्रपत्र का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड नैनीताल के अन्तर्गत रा.रा. मार्ग सं. 121 स्थित टकरीखल लोक से कसाना विचला होते हुए चौकीखल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य. ल. 2.00 कि.मी.
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कसाना वल्ला
तहसील धुमकोट, जिला पौड़ी-गढ़वाल.

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल विकास खण्ड में टकरीखल लोक से कसाना विचला होते हुए चौकीखल तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (1.080 हे० आरक्षित वन भूमि, सिविल हे० सिविल सोयम भूमि 0.180 हे०, वन पंचायत भूमि 0.900 हे०) अर्थात् कुल 1.080 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कसाना वल्ला द्वारा दिनांक 12/5/14 को सम्मान ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कसाना के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव
सुरपंच
ग्राम कसाना वल्ला
तहसील धुमकोट
जिला पौड़ी गढ़वाल

ह०/-
सुरपंच



ह०/- 2 प्रम

निर्वाहक ग्राम प्रधान
कसाना वल्ला

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

40C

प्रपत्र-23.1

दिनांक 12/5/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कसाना बल्ला

क्र.सं.	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वीरेंद्र सिंह परवाल	
2	वैष्णव सिंह परवाल	
3	गजेन्द्र सिंह रावत	गजेन्द्र सिंह रावत
4	भरत सिंह परवाल	
5	कचें सिंह परवाल	
6	रवीन्द्र सिंह रावत	
7	दीपक परवाल	दीपक परवाल
8	सन्दीप गुलांड	सन्दीप गुलांड
9	रवीन्द्र परवाल	रवीन्द्र
10	गजेन्द्र परवाल	
11	ललित मोहन परवाल	ललित रावत
12	होशियार सिंह परवाल	
13	वीणा (पुष्पा) सिंह परवाल	
14	पंकज परवाल	
15	विनोद परवाल	
16	सुरेश जी देवी	सुरेश
17	काशाला देवी	काशाला देवी
18	रमेश देवी	रमेश
19	होशियार सिंह	
20		

हस्ताक्षर -
सरपंच



हस्ताक्षर - श्रीम
ग्राम प्रधान निवर्तमान
कसाना बल्ला

Kashla Grewal
ग्राम पंचायत कसाना बल्ला
पत्ती बभ्याकोट
मैनी बल्ला - पौड़ी गढ़वाल

